संख्या-08/2019/34/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 04 जनवरी 2019

विषय:- **मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में विचाराधीन अनुसूचित जनजाति के छात्र श्री राहुल कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश गोंड की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की छात्रवृत्ति की लम्बित देयता के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक-332/22/ज.जा.वि./दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2018-19, दिनांक-02.01.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त याची छात्र श्री राहुल कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश गोंड, नोएडा, गौतमबुद्धनगर की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की वर्ष 2013-14 में रू0-31,025/-एवं वर्ष 2014-15 में रू0-31,025/- अर्थात कुल धनराशि **रू0-62,050/- (रू0-बासठ हजार पचास मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं। यह अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित करेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-08/2019/34(1)/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।